## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 10/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण – 1.राणा पुत्र अनोपा 2.सीता पत्नि राणा
जाति मेगवाल, निवासी सुथारों का तला(ईटादा)
तहसील सेड़वा , जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.तनु पुत्र गुलाबा 2.बाजुदेवी पत्नि तनुराम
3.लुंभा पुत्र समरथा 4.मनजी पुत्र समरथा
जाति मेगवाल, निवासी सुथारों का तला(ईटादा)
तहसील सेड़वा , जिला बाड़मेर।
5.शाखा प्रबन्धक एसबीआई चौहटन।
6.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – श्री पवन धारीवाल
प्रतिवादी वकील – श्री नरेश भादू (प्रतिवादी सं. 1 से 4)

### निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

दिनांक :– 20.02.19

न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सेड़वा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया । विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील वादीगण का कहना है कि तहसीलदार से जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वह उन्हें स्वीकार है उसी अनुसार निर्णय किया जावे। प्रतिवादीगण के वकील ने भी तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि उभयपक्ष अधिवक्ताओं को तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपति नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा सुथारों का तला, पटवार क्षेत्र ईटादा, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 722/31 रकबा 59.12 बीघा, खसरा सं. 49 रकबा 21.12 बीघा, कुल रकबा 81.04 बीघा बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

| क्र. सं. | खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत | ग्राम | खसरा नं. | रकबा | किस्म | लगान | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तनूराम वल्द गुलाबाराम, बाजू पत्नि तनूराम कौम मेघवाल, सा.ईटादा खातेदार। | सुथारों का तला | 722/31 | 30.09 | बा.सो. | 0.92 | लाल |
| | | **योग** | 1 | **30.09** | बा.सो. | **0.92** | **लाल** |
| 2 | राणाराम वल्द अनोपाराम, सीतादेवी पत्नि राणाराम, कौम मेघवाल, सा.ईटादा खातेदार। रहन : राणाराम का हिस्सा आर.एम.जी.बी.कोनरा। | सुथारों का तला | 722/31<br>49 | 14.09<br>14.07 | बा.सो.<br>बा.सो. | 0.43<br>0.43 | आसमानी |
| | | **योग** | 2 | **28.16** | बा.सो. | **0.86** | **आसमानी** |
| 3 | लुम्भाराम, मनजीराम पि. समरथाराम, कौम मेघवाल, सा.ईटादा खातेदार रहनः मनजीराम का हिस्सा एसबीआई चौहटन | सुथारों का तला | 722/31<br>49 | 14.14<br>07.05 | बा.सो.<br>बा.सो. | 0.44<br>0.22 | काला |
| | | **योग** | 2 | **21.19** | बा.सो. | **0.66** | **काला** |

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

# डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत  सहायक कलक्टर चौहटन  मुकाम  चौहटन

व इजलास  ***श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.***

अनवान

वादीगण –  1.राणा पुत्र अनोपा 2.सीता पत्नि राणा
जाति मेगवाल, निवासी सुथारों का तला(ईटादा)
तहसील सेड़वा , जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण –  1.तनु पुत्र गुलाबा 2.बाजुदेवी पत्नि तनुराम
3.लुंभा पुत्र समरथा 4.मनजी पुत्र समरथा
जाति मेगवाल, निवासी सुथारों का तला(ईटादा)
तहसील सेड़वा , जिला बाड़मेर।
5.शाखा प्रबन्धक एसबीआई चौहटन।
6.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील –  श्री पवन धारीवाल
प्रतिवादी वकील –  श्री नरेश भादू (प्रतिवादी सं. 1 से 4)

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 10/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी **श्री पवन धारीवाल** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री नरेश भादू** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर **ग्राम सुथारों का तला, पटवार क्षेत्र ईटादा, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 722/31 रकबा 59.12 बीघा, खसरा सं. 49 रकबा 21.12 बीघा, कुल रकबा 81.04 बीघा बीघा के आये हुए है।** उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ट पर.......................... बीज ................................... मबलिग ..................................... बाबत ................ पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ................................... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक ................................. को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20.02.2019 को जारी की गई।

दस्तखत..................

मुहर  ओहदा.................. सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

| मुदई | रूपया | पै. | मुदायलाह | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्चीदाया<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प सबूत<br>पइमनामा वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमीश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वर्जी<br>महनताना वकील) पर खर्चा<br>गवाहान फीस कमीश्नर बावत<br>इजराय हुक्मनामा मुतफरिक | | |
| | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे ................ करना।

| क्र. सं. | खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत | ग्राम | खसरा नं. | रकबा | किस्म | लगान | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तनूराम वल्द गुलाबाराम, बाजू पत्नि तनूराम कौम मेघवाल, सा.ईटादा खातेदार। | सुथारों का तला | 722 / 31 | 30.09 | बा.सो. | 0.92 | लाल |
| | | **योग** | 1 | **30.09** | बा.सो. | **0.92** | **लाल** |
| 2 | राणाराम वल्द अनोपाराम, सीतादेवी पत्नि राणाराम, कौम मेघवाल, सा.ईटादा खातेदार। रहन : राणाराम का हिस्सा आर.एम्.जी.बी.कोनरा। | सुथारों का तला | 722 / 31<br>49 | 14.09<br>14.07 | बा.सो.<br>बा.सो. | 0.43<br>0.43 | आसमानी |
| | | **योग** | 2 | **28.16** | बा.सो. | **0.86** | **आसमानी** |
| 3 | लुम्भाराम, मनजीराम पि. समरथाराम, कौम मेघवाल, सा.ईटादा खातेदार रहनः मनजीराम का हिस्सा एसबीआई चौहटन | सुथारों का तला | 722 / 31<br>49 | 14.14<br>07.05 | बा.सो.<br>बा.सो. | 0.44<br>0.22 | काला |
| | | **योग** | 2 | 21.19 | बा.सो. | **0.66** | काला |

सहायक कलेक्टर (SDO)

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलेक्टर चौहटन (SDO)